(3)

संक्षिप्त विचारण अंतर्गत धारा 263, 264 द.प्र.सं. 1973

न्यायालय :–विवेक जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसरावद प0नि0
दाण्डिक प्रकरण कमांक समरी 710/2022 अपराध किये जाने की दिनांक– 02/02/2022
अभियोगी/परिवादी का विवरण–म.प्र. शासन द्वारा– आरक्षी केन्द्र कसरावद

अभियुक्त/गण का नाम, पैतृकता और निवास

1. वसीम पिता सिराज खान, उम्र– 21 वर्ष, जाति– मेवाती
2. फारूख पिता मामूर खान, उम्र– 35 वर्ष, जाति– मेवाती,
3. अजरूद्धीन पिता फारूख खान, उम्र– 28 वर्ष, जाति– मेवाती,
4. सलमान पिता सराफत खान, उम्र– 27 वर्ष, जाति– मेवाती,
5. अफजल पिता फजल खान, उम्र– 27 वर्ष, जाति– मेवाती
6. आसीम पिता आदिल खान, उम्र– 28 वर्ष, जाति– मेवाती
7. रिजवान पिता रफीक खान, उम्र– 29 वर्ष, जाति– मेवाती
8. अल्ली पिता शरीफ खान, उम्र– 35 वर्ष, जाति–मेवाती

सभी निवासी– ग्राम बालसमूद, तहसील– कसरावद, थाना– कसरावद, जिला– खरगोन मप्र ।

परिवादित अपराध का विवरण

आपने दिनांक **02/02/2022** समय **17:00** बजे को स्थान ग्राम बालसमूद, दशहरा मैदान, पर ताशपत्ति/लूड़ो के माध्यम से रूपयों की हार जीत का दाव लगाकर कौशल के खेल से भिन्न का खेल खेलकर जुआं खेला। इसके द्वारा आपने धारा 13 सार्वजनिक धूत अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

(विवेक जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद

अभियुक्तगण का अभिवाक एवं परीक्षण (यदि किया हो)–
क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो?

वसीम अपराध स्वीकार है
फारूख अपराध स्वीकार है
अजरूद्धीन अपराध स्वीकार है
सलमान अपराध स्वीकार है
अफजल अपराध स्वीकार है
आसीम अपराध स्वीकार है
रिजवान अपराध स्वीकार है
अल्ली अपराध स्वीकार है

(विवेक जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद

-:निर्णय:-

आज दिनांक 14–10–2022 को घोषित।

-:निष्कर्ष:-

अभियुक्तगण की स्वैच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

-:दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश:-

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को धारा 13 द्यूत अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए **100–100–100–100–100–100–100–100/–** मात्र रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में अभियुक्त को पर 3–3 दिन का साधारण/कठोर कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा राशि में से रूपये **4730** धारा 452 (4) द.प्र.सं. में विहित सीमावधि पश्चात् राजसात किये जाते है। शेष मुददेमाल निर्मूल्य होने से नष्ट किया जावे।

कार्यवाही समाप्त होने की दिनांक **14–10–2022**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

(विवेक जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

मेरे निर्देशन पर टंकित

(विवेक जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.